न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 41/2016 (राजसमन्द डिक्री)

1. श्री प्रताप सिंह आत्मज स्व. श्री घासीसिंह जी पंवार राजपूत निवासी कुंठवा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री शम्भूसिंह आत्मज स्व. श्री भंवरसिंह जी कडेचा राजपूत निवासी कडेचों की भागल कुंठवा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
3. श्री शम्भूसिंह आत्मज श्री प्रतापसिंह जी पंवार राजपूत निवासी कुठवा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
4. श्री देवेन्द्र आत्मज श्री मोहनसिंह जी पंवार राजपूत निवसी रलेला कुंठवा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
5. श्री लक्ष्मण सिंह आत्मज श्री भेरूसिंह जी पंवार राजपूत निवासी ताल की भागल कुंठवा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
6. श्री लक्ष्मणसिंह आत्मज श्री केसरसिंह पंवार राजपूत निवासी ताल की भागल कुंठवा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
7. श्री केसरसिंह आत्मज श्री दौलतसिंह पंवार राजपूत निवासी ताल की भागल कुंठवा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
8. श्री पहाड़सिंह आत्मज श्री डालूसिंह जी पंवार राजपूत निवासी ताल की भागल कुंठवा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
9. श्री लहरसिंह आत्मज श्री केसरसिंह पंवार राजपूत निवासी ताल की भागल कुंठवा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)

.... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री धर्मेश कुमार आत्मज श्री सोहनलाल जी पुरोहित ब्राह्मण निवासी कुंठवा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री गणेश आत्मज श्री सोहनलाल जी पुरोहित ब्राह्मण निवासी कुंठवा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द (राज0)
3. उप पंजीयन अधिकारी कार्यालय नाथद्वारा

.... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक
कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राजसमन्द दिनांक
27–8–2013 प्रकरण सं. 265/2012 राजस्व वाद

----/----

1– श्री ईश्वरसिंह सामोता अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या–03

----/----

निर्णय **दिनांक 17–01–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट वादी द्वारा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि वादपत्र की कलम संख्या–1 वर्णित आराजीयात राजस्व ग्राम कुंठवा स्थित है। यह भूमियां प्रतिवादी संख्या–1 धर्मेश को रूपयों की आवश्यकता होने से उसने वादी से रूपये उधार लिए एवं इसकी एवज में उक्त सभी आराजीयात प्रतिवादी संख्या–1, 2 ने वादीगण के पास पुनः रूपये अदा करने तक न्यासी के रूप में रखा तथा विक्रय हस्तान्तरण नहीं करने की 6–7–2012 को अनुबन्ध किया। किश्ते देने के बाद में मना कर दिया गया तथा भूमि का सोदा अन्य के नाम किये जाने का भी कहा। अतएव उन्हें विक्रय हस्तान्तरण नहीं किये जाने की स्थाई निषेधज्ञाा एवं आदेशात्मक व्यादेश से पाबन्द किया जाय।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। अधिनसथ न्यायालय ने शहातद वादी लेने के बाद अपने निर्णय दिनांक 27–8–2013 से वादी का वाद खारिज कर दिया। जिससे रूष्ट होकर वादी अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 25–9–2013 को पेश की। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 व 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–3 की और से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्त उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील अपीलान्ट तथा राजकीय अधिवक्ता की औपचारिक बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह कथन किया कि अधिनस्थ

न्यायालय द्वारा स्पष्ट अनुबन्ध की होने के बावजूद खण्डन रहित वाद को खारिज किये जाने में त्रुटि की है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन क बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी का वाद रूपयों के लेन–देन को लेकर किये गये अनुबन्ध के आधार पर वादी को यह निषेधाज्ञा चाहिए थी कि रेकार्डेड खातेदार भूमि का विक्रय नहीं करें। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में निम्नानुसार विवेचन किया है :–

"वादीगण की और से " अनुबन्ध पत्र" की छाया प्रति प्रस्तुत की गई। उक्त अनुबन्ध पत्र के अवलोकन से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा चन्द्राबाई पत्नी सोहनलाल ब्राह्मण द्वारा वादीगण से रूपये उधार लेना तथा वादग्रस्त आराजीयात उधार की राशि अदा नहीं करने की अवस्था में वादीगण को प्रतिवादी संख्या–1, 2 तथा चन्द्राबाई विक्रय करने हेतु बाध्य होंगे तथा वादीगण के पक्ष में पंजीयन करना होगा, का अनुबन्ध होना प्रतीत होता है।

यहां प्रश्न यह है कि क्या वादीगण उक्त " अनुबन्ध पत्र" के आधार पर राजस्व न्यायालय से वादग्रस्त भूमियों को प्रतिवादीगण विक्रय हस्तान्तरण नहीं करे इस हेतु उनके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है या नहीं? तो राजस्व न्यायालय को इस प्रकार के अनुबन्ध के आधार पर निर्णय करने अथवा प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का क्षैत्राधिकार नहीं है। उक्त अनुबन्ध के आधार पर वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार के स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहते है तो वे सक्षम सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने को स्वतन्त्र है। राजस्व न्यायालय द्वारा उक्त अनुबन्ध के आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है"।

हम अधिनस्थ न्यायालय के उपरोक्त विवेचन से पूर्ण सहमत है कि मनीसूट (दावा) एवं अनुबन्ध के आधार पर अनुबन्ध निस्तारण का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं है। अतएव अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आख्यापक विवेचन कर वादी का वाद खारिज किये जाने में कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं की है। अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीर

A. I. R. 1996 कलकत्ता पेज 67 भी सक्षम सिविल न्यायालय के विचारणीय है। राजस्व न्यायालय का अनुबन्धों के निष्पादन पर किसी प्रकार की क्षैत्राधिकारिता किसी भी राजस्व कानून से प्राप्त नहीं होती।

उपरोक्त विवेचनानुसार अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं पाते।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–8–2013 बहाल रखा जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 17–01–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** ....मुकाम .... **उदयपुर** व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

1–श्री प्रतापसिंह आत्मज स्व श्री घासीसिंह जी पंवार राजपूत निवासी कुंठवा तह0 नाथद्वारा जिला राजसमन्द व अन्य–8	बनाम	**1–श्री धर्मेश कुमार आत्मज श्री सोहनलाल पुरोहित ब्राह्मण निवासी कुंठवा तह0 नाथद्वारा जिला राजसमन्द व अन्य–1 व सरकार**

अपील नं0 **41/2016** बनाराजगी डिगरी अदालत.......... **उपखण्ड अधिकारी** .... **नाथद्वारा......** मुकाम मुर्क्खे.............**27**..........माह.............**08**............... **2013**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ......**17**..... माह ......**01**.......... सन् **2018** रूबरू............ पक्षकारान व हाजरी ....**श्री ईशवर सिंह सामोता......................** मिनजानिब अपीलान्ट व ....**श्री राजकीय अधिवक्ता**.............. रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–8–2013 बहाल रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये.......... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख ....**17**...... माह ...**01**........ **2018** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा .... 3. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।